अपील सूचना अधिकार संख्या 22/2019 (RCMS 2019/00071) श्री गोपाल सिंह सोलंकी, बी/बी–2, नवलखा अपार्टमेंट, भारत माता पथ, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान मो. 89497–31373 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोपाल सिंह सोलंकी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी श्री गोपाल सिंह सोलंकी ने** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत करके चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण, उसने यह अपील इस न्यायालय में पेश कर प्रार्थना की है कि लोक सूचना अधिकारी पर 50,000/– रूपये हर्जा खर्चा प्रतिकर के रूप में दिलया जाये और उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी श्री गोपाल सिंह सोलंकी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

ग्राम खारिया, ग्राम पंचायत सिंगरासर की रोही में स्थित खसरा नम्बर 11/1 के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि में अतित्वरित उपलब्ध करावें :

1. यह कि उक्त ग्राम खारिया, ग्राम पंचायत सिंगरासर की रोही में स्थित खसरानम्बर 11/1 को आवंटन राज्य सरकार द्वारा किन–किन व्यक्तियों को किया गया उनके नामों की सूचना उपलब्ध करावें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. यह कि उक्त खसरा-संख्या–11/1 पर अस्थाई रूप (टीसी) से भूमि प्राप्त करने के लिए जिन–जिन व्यक्तियों द्वारा आवदेन किया गया था उनका नाम एवं आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करावें।
3. यह कि उक्त खसरा संख्य 11/1 पर अस्थाई रूप (टीसी) से भूमि प्राप्त करने वाले प्राप्तियों में से जिन–जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त खसरें पर पुख्ता पट्टे प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था उनका नाम, पिता का नाम मय संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करावें।
4. यह कि उक्त खसरा संख्या 11/1 पर अस्थाई रूप (टीसी) एवं स्थाई भूमि पर आवंटन प्राप्त करने के लिए रामकरण पुत्र श्री धौंकल राम जाति जाट द्वारा कार्यालय में किये गये निर्णयों एवं इससे सबंधित संधारित सम्पूर्ण पत्रावली मय फाईल कवर में उपलब्ध करावे।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक सूकाअ/19/174 दिनांक 25.01.2019 से अपीलार्थी एडवोकेट गोपाल सिंह सोलंकी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार है :

1. बिन्दु संख्या 1 की सूचना कि ग्राम खरिया के ख.नं. 11/1 का आवंटन किन किन व्यक्तियों को किया गया? वांछित सूचना प्रश्नात्मक है, जिसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।
2. भूमि का अस्थाई आवंटन इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. भूमि का अस्थाई आवंटन इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था।
4. भूमि का अस्थाई आवंटन इस कर्यालय द्वारा नहीं किया गया था। स्थाई आवंटन प्रार्थना पत्र की दिनांक व स्थाई आवंटन निर्णय दिनांक अंकित नहीं है। वांछित सूचना प्रश्नात्मक है। जिसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' अनुसार लोक प्राधिकरण द्वारा वही सूचना दी जा सकती है जो दस्तावेज, फ्लोपी, सीडी अथवा अन्य रूप में संग्रहित है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.07.2008 अनुसार काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अथवा प्रश्न पूछना सूचना का अधिकार के दायरें में नहीं आता है। सूचना जिस रूप में संधारित है उसी रूप में दी जा सकती है। खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना देय नहीं है। डा. सेल्सा पिन्टों बनाम लोक सूचना अधिकारी में मा. गोवा उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार सूचना सृजित करकें नहीं दी जा सकती है। पूर्ण विशिष्टियां आवश्यक है। आप द्वारा चाही गई सूचनायें सूचना का अधिकार दायरे में नहीं आती है। अतः आपका प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। सूचित रहें।

-Sd-
आवंटन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक आवंटन/आरटीआई/2019/493 दिनांक 15.03.2019 से निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्न अपील, अपीलार्थी का बिन्दुवार जवाब/रिपोर्ट निम्नानुसार है:

1. यह कि बिन्दु संख्या 1 अपीलार्थी के नाम व पता से संबंधित है।
2. यह कि बिन्दु संख्या 2 लोक सूचना अधिकारी के पता से संबधित है।
3. यह कि बिन्दु संख्या 3 में प्रार्थी गोपाल सिंह द्वारा इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है।
4. यह कि बिन्दु संख्या 4 में प्रार्थी गोपाल सिंह द्वारा इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबधं में इस कार्यालय का पत्र/जवाब प्राप्त होना स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में स्थाई आवंटन बाबत चाही गई सूचना तलाश हेतु प्रार्थी द्वारा अपेक्षित पूर्ण विशिष्टियां यथा–स्थाई आवंटन प्रार्थना पत्र की दिनांक व स्थाई आवंटन निर्णय दिनांक आदि विवरण अंकित नहीं करने के कारण प्रार्थी का प्रा. पत्र दाखित दफ्तर कर दिया गया था तथा इस बाबत प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 174 दिनांक 25.01.2019 से सूचित किया जा चुका है।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में स्थाई आवंटन बाबत चाही गई सूचना तलाश हेतु प्रार्थी द्वारा अपेक्षित पूर्ण विशिष्टियां यथा–स्थाई आवंटन प्रार्थना पत्र की दिनांक व

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्थाई आवंटन निर्णय दिनांक आदि विवरण अंकित नहीं करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर किया गया है। इसलिए प्रार्थी निःशुल्क सूचना अथवा हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

6. यह कि प्रत्युत्तर उक्त बिन्दु संख्या 5 अनुसार है।

-sd-
आवंटन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में प्रतीत होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर